**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2232**
दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

## वन-स्टॉप सेंटरों का कार्यनिष्पादन

2232 **श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में कार्यशील वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र वार संख्या कितनी-कितनी है;
(ख) प्रत्येक ओएससी में संस्वीकृत पदों और वास्तविक कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सभी ओएससी में योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रय सुविधाओं की उपलब्धता है;
(घ) परामर्श, कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन आश्रय जैसी सेवाओं के अलग-अलग ब्यौरे सहित विगत पांच वर्षों के दौरान ओएससी में सेवाएं प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है; और
(ङ) क्या निधियन में देरी, कर्मचारियों की कमी अथवा पुलिस, कानूनी सेवा प्राधिकरणों या जिला प्रशासनों के साथ समन्वय की कमी सहित ओएससी के कार्यकरण में कोई कमी पाई गई है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास मंत्री**
**(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)**

**(क) से (ङ):** वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। अब तक, देश में 914 ओएससी कार्यशील हैं। इसकी शुरुआत यानी 1 अप्रैल, 2015 से लेकर 31 दिसंबर, 2025 तक देश में 13.37 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यशील ओएससी का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है और पिछले पांच वर्षों में इन ओएससी के माध्यम से सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

मिशन शक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार प्रत्येक ओएससी में 1 मनो-सामाजिक परामर्शदाता, 1 पैरा लीगल कर्मचारी/वकील और 1 पैरा मेडिकल कर्मचारी सहित 13 मानव संसाधन की नियुक्ति/भुगतान के आधार पर सेवाएँ लेने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ओएससी योजना के समग्र कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। धनराशि, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर जारी की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के दौरान नीति आयोग के माध्यम से मंत्रालय की योजनाओं, जिनमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना भी शामिल है, का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को संतोषजनक पाया गया।

इसके अतिरिक्त, साल में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर योजना के तहत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति तथा महिलाओं और बच्चों को प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करके योजना की लगातार समीक्षा करते रहते हैं।

*****

**अनुलग्नक-I**

**'वन-स्टॉप सेंटरों का कार्यनिष्पादन' विषय पर श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए दिनांक 11.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2232 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यशील ओएससी का विवरण

| क्र. सं. | राज्य /संघ राज्य क्षेत्र | कार्यशील ओएससी की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान व नीकोबार द्वीप समूह | 3 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 36 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 25 |
| 4 | असम | 36 |
| 5 | बिहार | 39 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 42 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 3 |
| 9 | दिल्ली | 11 |
| 10 | गोवा | 2 |
| 11 | गुजरात | 35 |
| 12 | हरियाणा | 22 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 13 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 20 |
| 15 | झारखंड | 26 |
| 16 | कर्नाटक | 42 |
| 17 | केरल | 14 |
| 18 | लद्दाख | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | लक्षद्वीप | 1 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 57 |
| 21 | महाराष्ट्र | 67 |
| 22 | मणिपुर | 16 |
| 23 | मेघालय | 13 |
| 24 | मिजोरम | 13 |
| 25 | नागालैंड | 17 |
| 26 | ओडिशा | 34 |
| 27 | पुदुच्चेरी | 4 |
| 28 | पंजाब | 23 |
| 29 | राजस्थान | 52 |
| 30 | सिक्किम | 6 |
| 31 | तमिलनाडु | 59 |
| 32 | तेलंगाना | 36 |
| 33 | त्रिपुरा | 10 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 96 |
| 35 | उत्तराखंड | 14 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 24 |
| | कुल | **914** |

**अनुलग्नक-II**

**'वन-स्टॉप सेंटरों का कार्यनिष्पादन' विषय पर श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए दिनांक 11.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2232 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

पिछले पांच वर्षों के दौरान इन ओएससी के माध्यम से चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी कोई भी सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं का वर्षवार विवरण।

| **वर्ष** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** | **2024-2025** | **2025-26 (31 दिसंबर, 2025 तक)** |
|---|---|---|---|---|---|
| सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या | **147312** | **165736** | **183278** | **228910** | **218283** |

*****